

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
राजस्व लोक अदालत मुकाम लाम्बियाखुर्द तहसील बनेड़ा
पीठासीन अधिकारी — श्री संजय माथुर
(आर.ए.एस.)

प्र0स0 — 57 / 2015

उत्तवान

1. लादु पिता नन्दा भील नि0 सरदारपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

—————(प्रार्थीगण)

बनाम

1. उगमा पिता नारायण बलाई नि0 लाम्बियाखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
2. पन्ना पिता भीया बलाई नि0 लाम्बियाखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
3. मोहनी पत्नि रामा बलाई नि0 लाम्बियाखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
4. भोलू पिता लादू बलाई नि0 लाम्बियाखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
5. देबी पिता लादु बलाई नि0 लाम्बियाखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
6. कंचन देवी पत्नि सुखदेव बलाई नि0 भीलवाड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

—————(अप्रार्थीगण)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू0अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढ़ी कराने के।

:: निर्णय ::

दिनांक — 04.06.2016

वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय में दिनांक 16.09.2015 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सम्वत 2070 से 2073 की जमाबंदी अनुसार वाके ग्राम लाम्बियाखुर्द पटवार क्षेत्र लाम्बियाखुर्द भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र बैरा तहसील बनेड़ा की कृषि भूमि खाता संख्या 502 के आ0न0 1776, 2222/1263 कुल किता 2 कुल रकबा 04-13 बीघा व खाता संख्या 503 के आराजी संख्या 2178/2137 रकबा 5-00 बीघा स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमा चिह्न नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिससे वादी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।


प्रस्तुत वादपत्र इस न्यायालय राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम लाम्बियाखुर्द में दिनांक 04.06.2016 को पंजीबद्ध किया गया। विपक्षीगण द्वारा राजस्व लोक अदालत में उपस्थित होकर कोई आपत्ति नहीं होना बताया। इस प्रकार विपक्षी की ओर से कोई उजरदारी पेश नहीं होने से स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के विरुद्ध उनकी ओर से कोई आपत्ति नहीं है।

प्रस्तुत वाद के पक्ष पर पक्षकार को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवादित प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि है और इस प्रकार एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार है। अतः लोक अदालत की भावना से प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है।

:: आदेश ::

ग्राम लाम्बियाखुर्द पटवार क्षेत्र लाम्बियाखुर्द भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र बैरा तहसील बनेड़ा की कृषि भूमि खाता संख्या 502 के आ0न0 1776, 2222/1263 कुल किता 2 कुल रकबा 04-13 बीघा व खाता संख्या 503 के आराजी संख्या 2178/2137 रकबा 5-00 बीघा की पत्थरगढ़ी बशामलात पक्षकारान तहसीलदार बनेड़ा करावे। प्रार्थी इस कार्य के लिए भू0अ0नि0 की कमिश्नर फीस 1000/- रुपये पत्थरगढ़ी के समय मौके पर जमा करावे। राशि जमा होने पर विधिवत पत्थरगढ़ी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 04.06.2016 को राजस्व लोक अदालत केम्प लाम्बियाखुर्द में सरे इजलास सुनाया गया।


(संजय माथुर)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा